

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/313
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00210
CICOM/R/2019/00816

दिनांक: 03.01.2020

अपीलकर्ता : श्री के. के. गुप्ता,
ए 4/7, कृष्णा नगर,
दिल्ली - 110051.

निर्णय की तारीख: 03.01.2020

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.11.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	10.12.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.11.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	19938/05.12.2019

अपीलकर्ता द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग में प्रेषित दिनांक 01.11.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2019 को प्रेषित की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।

आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

1. अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 08.05.2019 को आयोग को प्रेषित पत्र के के चार सेटों के संबंध में सूचनाएं मांगी गई थी।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत श्री राम पाल सिंह, प्रभारी, डाक अनुभाग, केन्द्रीय सूचना आयोग से सहायता ली गई। श्री राम पाल सिंह द्वारा प्रदान की गई सहायता में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 08.05.2019 को प्रेषित पत्र के साथ 4 सेटों को इस आयोग में प्राप्त होने की भली भांति जांच की गई, परन्तु इस आयोग का साफ्टवेयर उपरोक्त पत्र का प्राप्त होना नहीं दर्शा रहा है। श्री राम पाल सिंह द्वारा प्रदान की गई सहायता में 01 मई, 2019 से 31 मई, 2019 के दौरान अपीलकर्ता श्री के. के. गुप्ता के प्राप्त पत्रों का विवरण भी दिया गया है, जिसे संलग्न करते हुए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 10.12.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00816 के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचना प्रेषित की गई।

प्रथम अपील की सुनवाई:-

3. प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निस्तारण हेतु दिनांक 30.12.2019 को अपहराह्न 03.15 बजे मामले की सुनवाई निर्धारित की गई जिसके लिए सुनवाई सूचना दिनांक 19.12.2019 को जारी की गई एवं निर्धारित तिथि तथा समय पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता श्री के. के. गुप्ता एवं श्री केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण अवतार तलवार तथा श्री राम पाल सिंह उपस्थित थे। श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपनी लिखित टिप्पणी में यह भी उल्लेख किया है कि "It has also been observed that the appellant is habitual in filing second appeals too without enclosing

P.T.O.

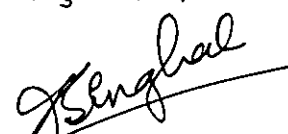
requisite documents as per rule 8 of RTI Rules, 2012. For this reason, during this calendar year itself 77 number of his second appeal filed by him has been registered by the undersigned. Due to the above, the undersigned is unable to discharge his duties assigned to him in the capacity of DR to CR-I and additionally that DR to CR-II as valuable time is wasted in undertaking above fruitless exercise of returning second appeals and also responding to correspondences on the very same issue. As such, permission may kindly be accorded for registering FIR against the appellant under section 186 of the Indian Penal Code (45 of 1860) for obstruction the public servant in discharging of his public functions."

निष्कर्ष एवं निर्णय:

4. प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की दलीलों को सुनने एवं संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) के अवलोकन के बाद अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार एवं स्पष्ट है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी पाया गया कि केवल वर्ष 2019 में ही 77 अपील पंजीकृत हो चुके हैं। यह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा निपटाए जाने वाले अन्य सरकारी कार्यों में बाधा है।

5. तदनुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(योगेश कुमार सिंघल)

संयुक्त सचिव एवं

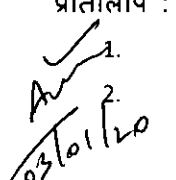
प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक (सी.आर.-1), के.सू.आ., नई दिल्ली।


03/01/20

03/01/20

